भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 4035

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 दिसंबर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं का एकाधिकार</u>

4035. श्रीमती मौसम नूर:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को कतिपय निजी सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार प्रयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सीसीआई द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): जी, हां। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के आरोप में सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध निम्नवत 4 मामले दायर किए हैं।

(i) मेसर्स सेल्यूलर आपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मेसर्स आईडिया सेल्यूलर लिमिटेड के विरुद्ध सी.ए. रंजन सरदाना द्वारा दायर मामला सं. 81/2016

(ii) सेल्यूलर आपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, आईडिया सेल्यूलर लिमिटेड, टेलिनोर (इंडिया) कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, वीडियोकोन टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकौम लिमिटेड के विरुद्ध श्री कांतिलाल अंबाला पुज द्वारा दायर मामला सं. 83/2016

(iii) सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, वोडाफोन मोबाईल सर्विसेज लिमिटेड, वोडाफोन ग्रुप पीआईसी, भारती एयरटेल लिमिटेड, भारती हेक्साकॉम लिमिटेड और आईडिया सेल्यूलर लिमिटेड के विरुद्ध रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा दायर मामला सं. 95/2016

(iv) रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, दूर संचार विभाग, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और बीएसएनएल के विरूद्ध श्री सी. शानमुगम द्वारा दायर मामला सं. 98/2016

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों के तहत सीसीआई के लिए अन्य विषयों के साथ-साथ अनैतिक व्यवहारों जैसे- गैर-प्रतिस्पर्धा समझौते और प्रभुत्व का दुरुपयोग जैसे मामलों में शास्ति लगाना और/या आदेश समाप्त करना और आदेश पर रोक लगाने की व्यवस्था हैं।

*****